

# राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

## कोर्स रिपोर्ट

### इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी में 'इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज' विषय पर दिनांक 22.05.2017 से 01.06.2017 तक दस दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया।



इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 5 पुलिस निरीक्षक व 24 पुलिस उप निरीक्षक स्तर के कुल 29 अधिकारी प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें साईबर अपराधों के अनुसंधान विषय पर प्रथम सप्ताह में विभिन्न व्याख्याताओं श्री शरत कविराज, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, एससीआरबी, जयपुर, श्री अनिल पाराशर, उप निदेशक, एनआईसी, जयपुर, श्री परमेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, जयपुर, श्री मुकेश यादव, उप पुलिस अधीक्षक, एसीबी, जयपुर, डॉ. विकास पाठक, आईपीएस, डीसीपी(क्राइम), जयपुर, श्री मिलिन्द अग्रवाल, साईबर एक्सपर्ट, श्री निशीथ दिक्षित, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर, श्री शेखर सिंह, मैनेजर इन्वेस्टिगेशन, इन्डसइन्ड बैंक, जयपुर द्वारा साईबर अपराध में वर्तमान ट्रेंड्स, कम्प्यूटर की मूलभूत जानकारी यथा: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट; साईबर अपराध संबंधित IT Act, IPC, अन्य लोकल एवं रोल एक्ट की लगाने वाली विभिन्न धाराएँ; विभिन्न साईबर अपराध जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, वायरस व वोर्म फैलाना, फिशिंग, विशिंग, कम्प्यूटर नेटवर्क डिसरप्शन, साईबर बुलिंग, आईडेंटिटी थेफ्ट, साईबर आतंकवाद, ई-मेल से धोखाधड़ी, ई-मेल स्पूफिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड फ्रॉड, कॉपी

राईट से संबंधित अपराध, पोर्नोग्राफी, धोखाधड़ी, डिनार्इल ऑफ सर्विस अटैक, वेब डीफेसमेन्ट, वेबसाईट हैकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी आदि के अपराध करने के तरीके वारदात बताने के अलावा इनके अनुसंधान के तरीके व SOP की जानकारी दी। साईबर पेट्रोलिंग व आईपी ग्रेबिंग तकनीक के बारे में बताया। विभिन्न कानूनों यथा: IT Act., इंटरमीडियरी गाईड लाईन, टेलीग्राफ एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों व संबंधित नियम कोर्ट के निर्णयों के बारे में बताया।

साईबर अपराध से संबंधित कोर्स के दूसरे सप्ताह में विभिन्न व्याख्याताओं श्री जयकेय सर्राफ, डाटा रिकवरी एक्सपर्ट, श्री परमेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, जयपुर, श्री नील कमल, सहायक मैनेजर, जेनपेक्ट, जयपुर, श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी, जयपुर, डॉ. विश्वास भारद्वाज, सहायक निदेशक(फिजिकस), एफएसएल, जयपुर द्वारा विभिन्न प्रकार की कॉल डिटेल का विश्लेषण, साईबर अपराध के अनुसंधान के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की पहचान, हैश वैल्यू निकालना, राईट ब्लोकर की मदद से इमेजिंग करना, इमेज का विश्लेषण करना, चैन ऑफ कस्टडी, संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस की पैकिंग कर FSL भिजवाना, FSL से पूछे जाने वाले प्रश्न व पूरी प्रक्रिया के दौरान डूज् व डॉन्ट्स की जानकारी दी।

कोर्स के समापन पर पुलिस अधीक्षक, एससीआरबी, जयपुर श्री शरत कविराज, आईपीएस द्वारा प्रतिभागियों को उद्बोधन प्रदान कर उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (स्पेशल कोर्स एवं सीओई) तथा सहायक कोर्स डायरेक्टर श्री नन्द कुमार कटेवा, प्रोग्रामर थे।

